FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

अदालत: उपखण्ड अधिकारी मुकाम: नीमराना

किस्म मुकदमा: हरिश बनाम हनुमान सिंह वगैरह

प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. नं० 231 सन् 22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	20-9-22 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा वकील वादी ने दावे के साथ पेश किया। दावा व प्रार्थना पत्र को साथ साथ पढ़ा गया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात व शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, नाकाबिले तलाफी क्षति होने की अपेक्षा भी प्रार्थी की ही है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27-10-22 तक इस अमर के पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी नं. 1881/0.14, 1882/0.27 मौजे ग्राम दोहाद तह० नीमराना का जब तक तनाजा निश्चित तय ना हो जावे तब तक कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें। प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें। ना ही किसी प्रकार से आराजी को रहन, बय करें ना कोई बयनामा पंजीबद्ध करावें। मौका व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। तथा संयोग यह आज्ञा नोटिस दावा इत्यादि करदी जावे जो भी	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	18.9.23 आज यह पत्रावली पेश हुई प्रार्थी के वकील उपस्थित है तलबी को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.6.23 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर नीमराणा (अलवर)	
	20.6.23 आज यह पत्रावली पेश हुई प्रार्थी के वकील उपस्थित है तलबी को समय चाहते है पत्रावली वास्ते रिपोर्ट तलबी दिनांक 5-9-23 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर नीमराणा (अलवर)	
	5.9.23 आज पत्रावली मुलाहिजा पर पेश हुई पत्रावली में प्रार्थी प्रार्थना पत्र नोट प्रेस किया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नोट प्रेस के आदेश किये जाते हैं। पत्रावली दैनिक कुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति संलग्न मुल दाखिल रहे। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	Notepress हवीश Id by